भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2820
18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः राष्ट्रीय मधुमक्खीपालन एवं शहद मिशन
2820. श्री केसिनेनी शिवनाथः
क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मधुमक्खीपालन एवं शहद मिशन के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या कितनी है तथा इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित एवं उपयोग की गई है;
(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों की राज्यवार संख्या कितनी है;
(ग) उक्त मिशन के अंतर्गत, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश राज्य के लिए स्वीकृत शहद हब/क्लस्टरों की राज्यवार एवं जिलावार संख्या कितनी है; और
(घ) इस मिशन से विशेष रूप से आंध्र प्रदेश राज्य के लिए राज्यवार एवं जिलावार कितने एफपीओ लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम) को वर्ष 2020-21 से कार्यान्वित किया गया है। कार्यान्वयन एजेंसियों को अब तक 298 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। एनबीएचएम के तहत चरण- I (वर्ष 2020-21 से 2022-23) के लिए 130.00 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जिसमें से 91.13 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया। चरण- II (वर्ष 2023-24 से 2025-26) के लिए 370.00 करोड़ रुपये के आवंटन के मुकाबले अब तक 103.35 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है।

(ख) से (घ) एनबीएचएम के तहत केंद्र और राज्य सरकार दो स्तरों पर प्रस्ताव प्राप्त किए जाते हैं। केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय कार्यान्वयन एजेंसियां एनबीएचएम के तहत प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड (एनबीबी) को प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं, जिनकी एनबीएचएम दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता के लिए जांच की जाती है। राज्यों के प्रस्तावों की जांच राज्य स्तरीय संचालन समिति (एसएलएससी) द्वारा की जाती है, जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव करते हैं और फिर जो पात्र पाए जाते हैं, उनकी सिफारिश एनबीबी को की जाती है। आंध्र प्रदेश राज्य सहित स्वीकृत परियोजनाओं और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को दी गई मंजूरी के विषय में राज्यवार ब्यौरा अनुबंध पर दिया गया है।

लोक सभा प्रश्न संख्या 2820 के बिन्दु संख्या (ख) से (घ) से संबंधित अनुबंध

राज्यवार स्वीकृत परियोजनाएं और कवर किए गए एफपीओ

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाएं	कवर किए गए एफपीओ
1.	आंध्र प्रदेश	01	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	08	लोअर सुभानसिरी-01
3.	असम	17	-
4.	बिहार	06	-
5.	छत्तीसगढ़	07	बीजापुर -01 कोरिया-01 बेमेतरा-01 रायपुर-01 बिलासपुर-01
6.	गुजरात	10	पालनपुर-02 नवसारी-01
7.	हरियाणा	10	पलवल-02
8.	हिमाचल प्रदेश	09	-
9.	जम्मू और कश्मीर	18	उधमपुर-01 कुपवाड़ा-01 गांदरबल-01
10.	झारखंड	12	हजारीबाग-01 लोहरदगा-01
11।	कर्नाटक	20	दक्षिण कन्नड़-01 उत्तर कन्नड़-01
12.	केरल	05	-
13.	मध्य प्रदेश	10	ग्वालियर-01
14.	महाराष्ट्र	14	औरंगाबाद-01
15.	मणिपुर	05	-
16.	मेघालय	02	-
17.	मिजोरम	-	-
18.	नागालैंड	06	-
19.	ओडिशा	03	-
20.	पंजाब	09	अमृतसर-01 लुधियाना-02
21.	राजस्थान	15	कोटा-01 अलवर-02 श्रीगंगानगर-02

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत परियोजनाएं	कवर किए गए एफपीओ
			भीलवाड़ा-01 हनुमानगढ़-01
22.	सिक्किम	02	-
23.	तमिलनाडु	09	-
24.	तेलंगाना	13	-
25.	त्रिपुरा	03	-
26.	उत्तर प्रदेश	30	सहारनपुर-01 प्रयागराज-01 बाराबंकी-01 मेरठ-01 मुजफ्फरनगर-02
27.	उत्तराखंड	23	नैनीताल-02 पिथौरागढ़-01 अल्मोड़ा-02
28.	पश्चिम बंगाल	16	अलीपुरद्वार-02 कूचबिहार-04 पूर्व बर्धमान-03 दक्षिण 24 परगना-01
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	01	-
30.	राष्ट्रीय/केन्द्री स्तर की एजेंसियां	09	-
	कुल अनुदान	**298**	**51**

*****